राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1799, 1800 व 1801/2014.. जिला : भीलवाडा.
उनवान मैसर्स श्री वल्लभ एजेन्सीज,भीलवाडा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन,भीलवाडा व अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर,भीलवाडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2014	खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा,सदस्य श्री मदन लाल,सदस्य अपीलार्थी के ओर से श्री अलकेश शर्मा,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थी की ओर से यह अपील मय स्टे प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी,, वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 89,90 एवं 91/वैट/14.15/स्थगन/भीलवाडा में पारित संयुक्तादेश दिनांक 12.09.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी., प्रतिकरापवंचन,भीलवाडा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25,55,65 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2011—12, 2012—13 एवं 2013—14 के लिये पारित पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.07.2014 में विवादित मांग राशि रू. 18,36,424/— में से रू. 11,34,888/— पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि क्रमशः रू. 2,92,106/—, रू. 2,40,605/— एवं रू. 1,12,081/— कुल रू. 6,44,792/—की वसूली पर स्थगन प्रदान नहीं किया गया है, किन्तु अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई सम्पूर्ण राशि पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष वर्ष 2011—12, 2012—13 एवं 2013—14 के लिये पारित पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.07.2014 को पारित किये गये थे,जिनमें अपीलार्थी द्वारा ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर कर वसूल किया है जबकि इस अवधि में ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी की बिक्री पर 14 से कर देयता कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मानी जाकर अधिनियम की धारा 26,55,65 एवं 61 आलोच्य अवधि के कर निर्धारण पारित करते हुए कुल रू. 18,36,424/—की मांग सृजित की है। अपीलीय अधिकारी द्वारा संयुक्तादेश दिनांक 12.09.2014 पारित करते हुए सृजित मांग राशि रू. 18,36,424/— में से रू. 11,34,888/— पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष रू. 6,44,792/—की वसूली पर स्थगन प्रदान नहीं किया है। अवशेष राशि रू. 6,44,792/—की वसूली स्थगित करने की प्रार्थना की गई है। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपने तर्को में कथन किया गया है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा विक्रीत माल शुगर केण्डी ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी को शुगर केण्डी की श्रेणी में नही होने के कारण अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 163 से कवर होने के कारण आलोच्य अवधि में 5 प्रतिशत की दर स कर योग्य है, इसलिए उसके सप्लाई पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है व जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अनुसूची 1 से 6 के अन्तर्गत 14 प्रतिशत से कर योग्य मानते हुए पृथक—पृथक आदेश दिनांक 07.07.2014 के द्वारा अन्तर कर,ब्याज एवं शास्तियॉं (तीनों अपीलों में) कुल मांग राशि रू. 18,36,424/— में से रू. 11,34,888/— पर स्थगन प्रदान किया गया है परन्तु शेष रू. 6,44,792/—की वसूली पर स्थगन प्रदान नहीं करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया है इसलिए सुविधा सन्तुल अपीलार्थी के पक्ष में होने से शेष रू. 6,44,792/—पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी—पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे ज्ञात होता है कि विक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी में कर दर का प्रश्न अपील में अंतर्ग्रस्त (involve) है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.07.2014 में विवादित मांग राशि रू. 18,36,242/— में से 11,34,888/—की वसूली पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि रू. 6,44,792/— की वसूली पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया	

है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत **(Adequate Security)** प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

10.10.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य